

खुसरूपुर में ठनका गिरने से दो लोगों की हुई मौत, एक जख्मी

खुसरूपुर/संवाददाता। बुधवार को आकाशीय बिजली गिरने से प्रखंड के अलग-अलग स्थानों पर दो लोगों की मौत हो गयी और एक अन्य घायल हो गये। इस दौरान डाल में एक गाय की भी मौत हो गयी। घटना में मृतकों की पहचान प्रखंड के सूकरवेगचक के जयप्रकाश सिंह (45 साल) और पैगम्बरपुर के कोशल कुमार के रूप में हुई है। घायल की पहचान पैगम्बरपुर के योगेश यादव के रूप में हुई है। ये सभी खेत में काम के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आकर हदसे की शिकार हो गए। मौसीमपुर पंचायत के बड़ा हसनपुर निवासी अमीरचंद प्रसाद की गाय डाल में चरने के दौरान आकाशीय



बिजली की चपेट में आने से दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की खबर मिलते ही मृतकों की घरों में कोहराम मच गया।

धनरोपनी कर रही एक महिला की ठनका गिरने से मौत, दूसरी घायल

हाजीपुर/लालगंज/संवाददाता। लालगंज थाना क्षेत्र के पीरापुर गांव में धन रोपनी के दौरान ठनका गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा बुधवार दोपहर के समय उस वक्त हुआ जब महिला खेत में धान की रोपाई कर रही थीं और झमाझम बारिश हो रही थी। इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार पीरापुर निवासी प्रमोद राम की 50 वर्षीय पत्नी इंदु देवी की ठनका के चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पास में ही काम कर रही जगभुवन राम की पत्नी मीना देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजनों ने दोनों को आनन-फानन में लालगंज रेफरल अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने इंदु देवी को मृत घोषित कर दिया। घायल मीना देवी का प्राथमिक उपचार किया गया। मीना देवी बताई कि जब ठनका गिरा तो उसके साथ खेत में काम कर रही इंदु देवी की मौके पर मौत हो गई तथा मीना देवी के पैर में करंट जैसा लगा जिसके बाद से पैर काम करना बंद कर दिया।

बेटे के बचाव में उतरी मेयर सीता साहू, कहा वे निर्दोष हैं, आयुक्त खुद भ्रष्टाचार में लिप्त

पटना/कार्यालय प्रतिनिधि। पटना मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर के खिलाफ सच वारंट जारी है। कमिश्नर और पटना मेयर की लड़ाई से पार्षद दो गुटों में बंटे हैं, जिसे लेकर माहौल गरम है। बुधवार को मेयर सीता साहू ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मौर्या लोक में अपने गुट के पार्षदों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि जो कमिश्नर मेरे बेटा को अपराधी बता रहे हैं, वो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। सीता साहू ने कहा कि 'पिछले दो महीने से स्थिति खराब हुई है। कोई काम नहीं हो पा रहा है। मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है। कमिश्नर भी ग्राहबेट बांडी गाई लेकर चलते हैं। मेरा बेटा भी ग्राहबेट बांडी गाई रखता है, इसमें क्या गलत है। अब हम लोग कमिश्नर के भ्रष्टाचार का काला विडु खोल रहे हैं, तो तिलमिला गए हैं। बेवजह मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा है।' बिना सच वारंट लिए, पुलिस मेरे घर पहुंची थी। कमरे की तलाशी ली गई। बेटे के ससुराल तक पहुंच गई। मेरा बेटा वहां से निकल गया। पुलिस वालों ने मुझे फोन पर बताया है। मेरे बेटे को गिरफ्तार करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये कौन लोग हैं।' सीता साहू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से इस मामले में हस्तक्षेप कर के न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। बेटे पर साजिश बनाई जा रही है। वहीं विरोधी गुट के पार्षद विनय कुमार, विनय कुमार के प्रदर्शन को बताया नौटंकी। उन्होंने कहा कि, आखिर पार्षदों की बैठक में मेयर का बेटा शिशिर किस हैसियत से बैठा था, पहले उन्हें स्पष्ट करना चाहिए।

डीएम ने दिया भूमिहीन लाभुकों को बंदोबस्ती पर्चा

अभियान बसेरा-2 के तहत जिले के 1000 लाभुक हुए लाभान्वित

पटना/संवाददाता। डीएम डॉ. त्यागराज एएसएम की अध्यक्षता में बुधवार को समाहणालय सभागार में अभियान बसेरा-2 एवं डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत फुलवारीशरीफ, दानापुर एवं सम्यतचक के लाभुकों के बीच सरकारी वास भूमि बंदोबस्ती-पर्चा का वितरण किया गया। इसके अंतर्गत डीएम ने फुलवारीशरीफ के 81, दानापुर के 150 तथा सम्यतचक के 5 लाभुकों को बंदोबस्ती पर्चा हस्तगत कराया। इसके अतिरिक्त सभी अंचलों में भी इस अभियान के तहत सरकारी भूमि पर आवासित सुयोग्य श्रेणी के लाभुकों को पर्चा वितरित किया गया। दुर्लिनबाजार में 200 लाभुकों, पालीगंज में 131, मनेर में 72, धनरूआ में 75, पुनपुन में 60, मसौढ़ी में 50, घोसवरी में 37, अथमलगावा में 24, विक्रम में 24, नौबतपुर में 20, खुसरूपुर में 17, बाढ़ में 16, पतुहा में 15, बख्खिरापुर में 10, भोकामा में 9 एवं दनियावा में 4 लाभुकों को बंदोबस्ती पर्चा संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा



दिया गया। बताते चलें कि जिले के सभी 19 अंचलों में डीएम के निर्देश के आलोक में कुल 1000 पर्चा का वितरण लाभुकों के बीच किया गया, जिसमें 81 अति पिछड़ा वर्ग एवं 919 अनुसूचित जाति के लाभुक हैं। यह पर्चा वास भूमि के लिए दिया गया है। इसमें से अधिकांश लाभुक जिस सरकारी भूमि पर घर बनाकर रह रहे थे उसी जमीन को बंदोबस्ती कर उन्हें परवाना दिया गया है। कुछ लाभुक ऐसे भी हैं जिन्हें नई जमीन बन्दोबस्त कर दी गयी है।

खेमका मर्डर मामले में गांधी मैदान के थानाध्यक्ष सस्पेंड

एसएसपी की अनुशंसा पर आईजी ने निलंबित किया

पटना/कार्यालय प्रतिनिधि। उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। गांधी मैदान थानाध्यक्ष पर गाज गिर गयी है। खेमका मर्डर केस में लापरवाही बरतने के आरोप में गांधी मैदान थानाध्यक्ष निलंबित कर दिए गए हैं। पटना के एसएसपी की अनुशंसा

पर आईजी जीतेन्द्र राणा ने थानाध्यक्ष राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल राजेश कुमार विधि व्यवस्था संधारण में लगातार असफल हो रहे थे। इसके बाद पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक ने निलंबन की सिफारिश कर दी। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में भी लापरवाही कई गई थी। बता दें की बीते 4 जुलाई को गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

श्रावणी मेला पर और 06 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन

पटना/संवाददाता। श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा कई श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में और 06 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी। उन्होंने बताया कि गाड़ी सं. 03602 डीडीयू-मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल 20 जुलाई से 10 आमत तक प्रत्येक रविवार को डीडीयू से 19.30 बजे खुलकर सभी स्टेशनों एवं हॉटलों पर रूकते हुए अगले दिन 13 बजे मधुपुर पहुंचेगी। वापसी में, गाड़ी सं. 03601 मधुपुर-डीडीयू श्रावणी मेला स्पेशल 21 जुलाई से 11 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार को मधुपुर से 13.30 बजे खुलकर सभी स्टेशनों एवं हॉटलों पर रूकते हुए अगले दिन 06.15 बजे डीडीयू पहुंचेगी। इस स्पेशल में शयनयान श्रेणी के 07 एवं

बिहार जूनियर स्टार नाइट रेड कॉर्पेट शो आयोजित

पटना/संवाददाता। प्रतिष्ठित ईको हॉल में पहली बार बच्चों के लिए रेड कॉर्पेट थीम पर आधारित भव्य और ऐतिहासिक बिहार जूनियर स्टार नाइट रेड कॉर्पेट शो आयोजित हुआ, जिसमें बिहार जूनियर फैशन शो सीजन 4 के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। यहां बच्चे सिर्फ चलना या पहनना नहीं सीखते बल्कि कैमरे को फेंस करना, सवालों के जवाब देना और खुद में भरोसा पैदा करना भी सीखते हैं। शो के संस्थापक और निदेशक पंकज कुमार तिवारी का उद्देश्य है कि बिहार के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के मंच और एक्सपोजर मिल सके। पीपीयू के कुलपति ने कुलाधिपति से की शिष्टाचार मुलाकत

पटना/संवाददाता। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रो. उपेन्द्र प्रसाद सिंह ने मंगलवार को कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खां से शिष्टाचार मुलाकत की। नवनियुक्त कुलपति को कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने का निर्देश दिया। साथ ही, नियमानुसार कार्यों को संपादित करने की सलाह दी। कुलपति प्रो. उपेन्द्र प्रसाद सिंह ने भरोसा दिलाया कि पूरी ईमानदारी के साथ विश्वविद्यालय को एक नयी पहचान दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। विश्वविद्यालय में एकेडमिक माहौल के साथ शोध कार्यों में एक अलग पहचान बनाने का प्रयास होगा। छात्रों, शिक्षकों और कर्मियों को साथ लेकर कार्य किया जाएगा।

आर. दुरैस्वामि ने एलआईसी के सीईओ व एमडी का कार्यभार संभाला

पटना/संवाददाता। वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार आर. दुरैस्वामि को भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसकी जानकारी एलआईसी ने दी।

एनएमसी की प्राचार्य डॉप्रो उषा आर्यभट्ट ज्ञान विवि की बनी डीन

पटना सिटी/संवाददाता। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के कुलपति ने नालंदा मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉप्रो उषा कुमारी को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संकाय का डीन नियुक्त किया है। कुलसचिव डॉ निरंजन प्रसाद यादव के हस्ताक्षर से 15 जुलाई, 25 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कुलपति के आदेश से डॉ प्रो. उषा कुमारी को इस अधिसूचना की तिथि से दो साल की अवधि के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संकाय का डीन नियुक्त किया जाता है। विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आप कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी। इस नियुक्ति की सूचना स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा के निदेशक, कुलपति के निजी सहायक, कुलसचिव कार्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को भी दी गई है।

बिजली के तार की चपेट में आने से किसान की मौत

बिहटा/संवाददाता। बिहटा आइआईटी थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव में खेत में कार्य कर लौट रहे किसान की बिजली की तार के चपेट में आने से मौत हो गयी। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान दयालपुर निवासी स्व. रामवधेश राय के 40 वर्षीय पुत्र सुदीप्त यादव के रूप में की जा रही है। बताया जाता है कि सुदीप्त यादव मंगलवार की शाम अपने खेत में धान रोपनी का कार्य कर लौट रहे थे तभी खेत में टूट कर गिरी हुई बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आ गया, जिसके कारण घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गयी।

फ्राइम केंद्रोल को लेकर शूटर सेल का होगा गठन

पटना/कार्यालय प्रतिनिधि। प्रदेश में लगातार हो रही हत्या और अपराध की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। एडीजी कर्तन कृष्णन ने बताया कि राज्य में अपराधियों पर सख्ती से नजर रखने और कार्रवाई के लिए "शूटर सेल" का गठन किया जाएगा। इसके तहत सभी जिलों के कुख्यात शूटरों का एक विस्तृत डेटा तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह सेल न केवल पुराने अपराधियों पर नजर रखेगी, बल्कि नए शूटरों की पहचान कर उनके खिलाफ समय रहते कार्रवाई करेगी। पटना में हाल के दिनों में हुई हत्या की बढ़ती घटनाओं को लेकर एडीजी ने चिंता जताई।

मेधावी छात्रों को प्राइवेट स्कूलस एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन किया सम्मानित



पटना/कार्यालय प्रतिनिधि। प्राइवेट स्कूलस एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में 13वें प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रविन्द्र भवन में आयोजित समारोह में बिहार के सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के 10 वीं एवं 12वीं कक्षाओं के चार हजार छात्रों को बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया गया। सेंट मार्कल हाई स्कूल के छात्र अभ्युदय आनंद एवं माउंट कार्मल हाई स्कूल पटना की छात्रा मनतशा ज़िया को एसोसिएशन की ओर से ग्यारह ग्यारह हजार रूपए की राशि, सर्टिफिकेट, मेडल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। छात्रों को संबोधित करते हुए समारोह के उद्घाटनकर्ता प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रभारी श्रीकृष्णा अल्लावार ने कहा कि छात्रों को उच्च सपने देखने चाहिए।

'हाउ टू क्रैक नीट' पर सेमिनार

पटना/संवाददाता। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए गोल इंस्टीट्यूट द्वारा बुधवार को एएन कॉलेज, पटना के ऑडिटोरियम में 'हाउ टू क्रैक नीट' विषय पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं एवं उनके अभिभावक उपस्थित हुए और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। सेमिनार के मुख्य वक्ता गोल इंस्टीट्यूट के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक बिपिन सिंह रहे। अपने प्रेरणात्मक संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र पूरी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ डिस्ट्रिक्शन से दूर रहकर



पढ़ाई करता है, तो मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास करना मुश्किल नहीं है। सहायक निदेशक रंजय सिंह ने छात्रों को समय प्रबंधन, विषयों की सही योजना और प्रतियोगिता की वर्तमान प्रवृत्तियों के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया

अद्विष्ट धनराज भी शामिल थे। इन्होंने छात्रों को प्रतियोगिता में सफल होने के लिए विभिन्न ट्रिक्स और टेक्निक्स, स्वास्थ्यवर्धक जीवनशैली, कार्य संतुलन जैसे पहलुओं पर उपयोगी सुझाव दिए। कार्यक्रम के अंत में गोल टेस्ट सीरीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉप कैम्पस छात्रों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिससे अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिली। इस भव्य आयोजन ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि गोल इंस्टीट्यूट न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता में अग्रणी है, बल्कि छात्रों को मानसिक, भावनात्मक और रणनीतिक रूप से सशक्त बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक

सर्वजनिक नीलामी सूचना

विश्वीय आरिस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के अंतर्गत बिक्री हेतु सर्वजनिक सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ प्रतिता उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अशोकराजश्री ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की सर्वजनिक नीलामी "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है जैसी है" के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी।

| क्र. सं. | ऋण खाता संख्या | ऋणी का नाम/ सह-ऋणी/ गारंटर | 132 13-2 की तिथि नोटिफ और मांग राशि | कब्जे की तिथि | वर्तमान बकाया शेष 15-07-2025 तक | संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय | आरक्षित मूल्य INR में | ई-नीलामी की तिथि और समय | बोली उन्मा कब की अंतिम तिथि | ईपूरी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में बिहल शूटर के माध्यम से उज्ज्वल जीवन लघु शिप बैंक के पक्ष में तैयार किया गया |
|----------|-------------------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 33528 03000 00004 | 1. संतोष कुमार संतोष वरुण शर्मा 2. शीमल वी सुबोध कुमार संतोष वरुण शर्मा 3. श्री सुधीर कुमार इन्डिया एनर्जिस्टि उद्युक्त 4. जयदीप शर्मा पुत्र सत्यन शर्मा 5. ज्योति कुमारी करना अश्विंद उद्युक्त | Rs. 14,74,093/- 27-09-2021 | 15-07-2024 | ₹. 31,38,014.95 | 10:00 AM 25-07-2025 | ₹. 14,00,000/- ₹. 1,40,000/- | 05-08-2025 9:30 AM | 04-08-2025 | ई पू एंड जेम्स उन्मा है मंग डायट के माध्यम से उज्ज्वल जीवन लघु शिप बैंक के पक्ष में तैयार किया गया |

संपत्ति विवरण/अनुसूची: मौजा - रानीपुर, थाना संख्या 19, खाता संख्या 649, खेसरा संख्या 3555, वार्ड संख्या 29/33, शीट संख्या 235, एम.एस.पी. 11, जिला - पटना, क्षेत्र - 5 घुरासा

नियम एवं शर्तें-

ई-नीलामी "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर आयोजित की जा रही है।

- प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, भार, नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति से संबंधित दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में स्वतंत्र रूप से पृष्ठताइ करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही अपना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेची जा रही है, चाहे वे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
- बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विनिर्देशों का निरीक्षण करना और स्वयं को संतुष्ट करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के समक्ष उल्लिखित स्थलों पर करने की अनुमति होगी।
- इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली उज्ज्वल उल्लिखित नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व अशोकराजश्री प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- ई-नीलामी उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता - मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संपर्क व्यक्ति - श्री प्रभाकरन (फो. नं. 74182-81709)। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर संपत्तियों के विवरण के लिए <https://www.bankauctions.com> या <https://www.ujjivanfs.in/bank-auctions> पर जाएं और बोली में भाग लेने के लिए एंटर पोर्टल <https://www.bankauctions.com> पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और अपना यूजर-आईडी और पासवर्ड नि:शुल्क प्राप्त करना होगा। संपत्ति बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर - 7291918824, 25,26, सहायता ईमेल आईडी- support@bankauctions.com, नीलामी पोर्टल - <https://www.bankauctions.com> से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- संपत्ति उज्ज्वल बोली लगाने वाले/प्रस्तावित व्यक्ति को बेची जाएगी, बशर्ते कि सुरक्षित ऋणदाता, अर्थात् उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, बोली स्वीकार कर ले। हालांकि, यदि आवश्यक समझा जाए, तो अशोकराजश्री को परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
- सफल बोलीदाता की अंतिम राशि (ईएमडी) आंशिक बिक्री प्रतिकूल के रूप में रख ली जाएगी और असफल बोलीदाताओं की अंतिम राशि वापस कर दी जाएगी। अंतिम राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर, पहले से मुरातान की गई अंतिम राशि को समायोजित करते हुए, बिक्री मूल्य का 25% और बिक्री मूल्य का शेष 75% बिक्री के 15वें दिन या उसके पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में और पूरी तरह से उनके विवेक पर समतुल्य 3 महीने से अधिक की विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा मुरातान में चूक की स्थिति में, प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी तथा चूककर्ता क्रेता का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/आवेदन नहीं होगा।
- यह प्रावधान "प्रमुख बला" खंड के अधीन है।
- बोलीदाताओं को हित में ऐतिहासिक सच में नीलामी लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो उज्ज्वल लघु वित्त बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विकलता (इंटरनेट विकलता/बिजली विकलता आदि) के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति बैंक-अप आदि कर लें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।
- यह उपरोक्त नामित उपारकातों/गारंटर्स/बचककर्ताओं को बंधक संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सर्वजनिक नीलामी के बारे में एक सूचना भी है।

दिनांक: 17-07-2025
स्थान: पटना

हरमनगण- प्राधिकृत अधिकारी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक